

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 05 / 2014

दायर दिनांक 03.02.2014

भगवानलाल

उनवान

बनाम

भगवानी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 12.11.2020

—:निर्णय:—

पत्रावली वाद विद्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई | वादी भगवान लाल अधिवक्ता श्री राजकुमार लडढा के साथ हाजिर | हाजिर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की हम पक्षकारान में आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते है | प्रकरण को इसी स्तर पर ड्राप फरमावे | हाजिर पक्षकारान ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिसके पहचान श्री राजकुमार लडढा ने की | प्रार्थना पत्र की इबारत पढकर सुनाई गयी जिसे सुन समझ कर स्वीकार की | अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रोप की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो | आदेश सुनाया गया |

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

